

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.- 1499/2017

थाना मामला सं0-236 वर्ष-2014 थाना-दलसिंहसराय जिला-समस्तीपुर

=====

अरविंद कुमार दास उर्फ अरविंद दास, पुत्र स्वर्गीय महेश्वर दास, निवासी मोहल्ला-वार्ड संख्या
11 लोकनाथपुर गंज, थाना-दलसिंगसराय, जिला- समस्तीपुर।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राज किशोर प्रसाद, अधिवक्ता

: श्री नंद लाल प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : कुमारी शशि बाला वर्मा, एपीपी

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 374(2), 53(ए)---भारतीय दंड संहिता---धारा 376(2)(एफ)---पोक्सो
अधिनियम---धारा 4, 6----सजा के खिलाफ अपील---अपीलकर्ता के खिलाफ एक नाबालिग लड़की,
जिसकी उम्र लगभग एक वर्ष है, के साथ बलात्कार करने का आरोप है---यह दलील दी गई है कि
विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए
गए आरोप का समर्थन नहीं करता है---आगे यह तर्क दिया गया कि पीड़िता को उपचार देने वाले पहले
डॉक्टर और जांच अधिकारी से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई।

निर्णय: पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर ने विशेष रूप से यह राय दी है कि योनि स्वाब रिपोर्ट में
शुक्राणुओं की अनुपस्थिति दिखाई देती है तथा घाव को उस डॉक्टर द्वारा सिल दिया गया था जिसने
उसका सबसे पहले इलाज किया था। इसलिए, बलात्कार के बारे में राय सबसे पहले इलाज करने वाले
डॉक्टर द्वारा दी जानी चाहिए---अभियोजन पक्ष उस डॉक्टर से पूछताछ करने में विफल रहा जिसने

पीड़िता का सबसे पहले इलाज किया था---यहां तक कि पीड़िता के पिता को भी नर्सिंग होम का नाम याद नहीं था जहां वह पीड़ित लड़की को इलाज के लिए ले गया था--हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी को घटनास्थल से पकड़ा गया था, उसे आवश्यक जांच के लिए नहीं भेजा गया तथा जांच एजेंसी ने संहिता की धारा 53(ए) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है---अभियोजन पक्ष ने जांच करने वाले जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की---अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास हैं तथा अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा---दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा सजा का आदेश अपास्त---अपील स्वीकृत।

(पैरा 15-20)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

समक्ष:- माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख: 24-04-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दायर की गई है (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें दोषी ठहराए जाने के दिनांकित 7/8/17 के फैसले और विद्वान विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा जी. आर. संख्या 443/14 पंजीकरण संख्या 643/14 दलसिंगसराय थाना से उत्पन्न मामला कांड संख्या 236/14 में पारित दंडादेश के आदेश दिनांकित 11.08.2017 को चुनौती दी गई है, संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376(2)(एफ) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत, जिससे और जिसके तहत अपीलार्थी को अपराध करने के लिए दोषी पाया गया है आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 50,000/- ₹0 का जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 6 महीने के लिए कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा दी गई है और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध करने के लिए कोई अलग से सजा नहीं दी गई है। इसके अलावा, यह निर्देश दिया जाता है कि जुर्माने का भुगतान पीड़ित के परिवार के सदस्य को किया जाएगा और पहले से गुजर चुकी अवधि को समायोजित किया जाएगा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:-

2.1. मुखबिर की ननद रंगिला देवी की शादी की पार्टी उनकी शादी के मौके पर आई थी। उसके द्वार पर विवाह संबंधी अनुष्ठान चल रहे थे। मुखबिर की एक साल की बेटी उनकी सास बाला देवी की गोद में थी। इस बीच, उसके पड़ोसी (आरोपी) अरविंद दास, 22 साल की उम्र, उसकी पीड़ित बेटी को उसकी गोद से ले गया और उन्हें गेट पर शादी की रस्में देखने के लिए कहा। गेट पर शादी की रस्में समाप्त होने के बाद, उसने अपनी बेटी और आरोपी अरविंद दास की तलाश शुरू कर दी। उसके पति और सास ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी। जब वे दोनों नहीं मिले, तो वे 22.05.2014 के 3 बजे सुबह अरविंद दास के घर गए और उन्होंने देखा कि सूचना देने वाले की बेटी अरविंद दास के घर के पास रो रही थी। जब वह अपनी बेटी के पास पहुंची, उसने उसके अंडरवियर को गायब पाया और बाद में देखा कि उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। वे समझ गए कि अरविंद दास ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया था। उन्हें देखकर अरविंद दास भागने लगे। उन्होंने शोर मचाया। चीत्कार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और घटना सुनकर अरविंद दास को पकड़ने के लिए दौड़े। भागने के दौरान अरविंद को थोड़ी चोट लगी। अरविंद दास को पुलिस को सौंप दिया गया जो सूचना मिलने पर पहुंची और घायल पीड़िता का उप-मंडल अस्पताल, दलसिंहसराय में इलाज किया गया।

2.2. एफ. आई. आर. के पंजीकरण के बाद, जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपीलार्थी/आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र मामला सं. जी. आर. सं. 443/14 पंजीकरण सं. 643/14 दिया गया।

3. विद्वान वकील श्री राज किशोर प्रसाद श्री नंद लाल प्रसाद के सहयोग से अपीलार्थी की ओर से और कुमारी शशि बाला वर्मा, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील को सुना।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से यह दलील दी है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उसने लगभग एक वर्ष की आयु की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है, लेकिन इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन नहीं करते हैं। यह दलील दी गई है कि, अभि.सा.-9 डॉ. मंजू सहाय, जिन्होंने पीड़िता की जांच की थी, ने न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से यह बयान दिया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी और योनि और योनि भाग पर टांके का घाव पाया गया था। यह भी दलील दी गई है कि जिस डॉक्टर ने पीड़िता का सबसे पहले इलाज किया था, वह पीड़िता के साथ किए गए बलात्कार के संबंध में राय दे सकता है। इस स्तर पर, यह इंगित किया गया है कि पीड़िता का इलाज करने वाले पहले डॉक्टर की अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई थी और इसलिए बलात्कार के संबंध में आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है। यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष जांच अधिकारी की जांच करने में भी विफल रहा है और इसलिए जांच अधिकारी की जांच न किए जाने से बचाव पक्ष को नुकसान हुआ है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि स्थानीय राजनीति के कारण अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसी ने अपीलकर्ता/आरोपी की गिरफ्तारी के बाद संहिता की धारा 53(ए) में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। विद्वान वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से प्रमुख विरोधाभासों को भी इंगित किया है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, आरोपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, विद्वान एपीपी ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि मुखबिर पीड़िता की मां है। उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। इसी तरह, अभि.सा.-8, जो पीड़िता का पिता है और अभि.सा.-5 जो पीड़िता की दादी है, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। यह भी कहा गया है कि अभि.सा.-1 जो एक स्वतंत्र गवाह है, ने भी मुखबिर के बयान का समर्थन किया है। विद्वान एपीपी ने आगे कहा कि केवल इसलिए कि जांच अधिकारी और डॉक्टर, जिन्होंने पीड़िता का सबसे पहले इलाज किया था, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई थी, इसका लाभ अपीलकर्ता/दोषी को नहीं दिया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि मुखबिर के पास अपीलकर्ता को इस घटना में झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, विद्वान एपीपी ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

6. अभि.सा.-1 प्रतिभा कुमारी ने बताया कि घटना के समय पीड़ित लड़की की उम्र करीब 11 महीने थी। वह बेहोश पड़ी थी और बोलने में असमर्थ थी।

7. अभि.सा.-2 निभा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उनकी ननद रंगीला देवी की शादी के अवसर पर बारात आयी थी। उसकी लगभग 1 वर्ष की पुत्री अपनी दादी की गोद में थी। अरविंद दास ने पीड़ित बच्ची को उसकी दादी की गोद से खेलने के लिए उठा लिया। दो घंटे के बाद उन्होंने लड़कियों की खोज शुरू की तो वह अरविंद दास के घर के पास पत्तों के ढेर पर मिली। बच्ची निर्वस्त्र थी। नीचे अंडरवियर नहीं था। एक पैर में पायल नहीं थी। उसके मूत्र मार्ग से खून निकल रहा था। अरविंद दास भागने लगा। ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित बच्ची का इलाज दलसिंहसराय के सरकारी अस्पताल में कराया गया।

7.1. जिरह में उसने बताया कि घटना वाले दिन उसका पति वहीं था। उन्होंने रात 12 बजे उसकी बेटी की तलाश शुरू की और उसे 02:00-02:30 बजे रात को ढूँढा। उन्होंने लड़की को बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने पीड़ित लड़की को उठाया और घर ले

आए और फिर तुरंत अस्पताल ले गए। मामले के दूसरे दिन पुलिस गांव में आई। इसके अलावा उसने बताया कि उसने किसी को बलात्कार करते नहीं देखा। अरविंद दास को घटना स्थल से भागते हुए देखा गया था। घटनास्थल अरविंद दास के घर के पश्चिम में है। उन्होंने अरविंद को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। उसने आगे बताया कि यह कहना गलत है कि कथित घटना नहीं हुई और उसने ग्रामीण राजनीति के कारण आरोपी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था और झूठी गवाही दी थी।

8. अभि.सा.-3 संजय कुमार महतो ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अभियुक्त के घर के सामने से पुलिस ने एक पैंट और एक पायल बरामद किया है। जब्ती सूची बनाई गई है। वह अभियुक्त को चेहरे से पहचानता है।

9. अभि.सा.-4 मिथिलेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि रामपुकार राय की पुत्री के विवाह समारोह के दिन अभियुक्त अरविंद दास पीड़ित बच्ची को अपने साथ खेलने के लिए ले गया। अरविंद दास ने पीड़ित बच्ची को गोद में लिया था। करीब 2-3 घंटे तक बच्ची की खोजबीन चलती रही। अरविंद और बच्ची वहां नहीं थे। वह भी बच्ची को खोज रहा था। खोजते-खोजते वह अरविंद दास के घर पहुंच गया। घर की तलाशी ली तो वह वहां नहीं मिला। जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि पीड़ित बच्ची पत्तों के ढेर पर रो रही थी। बच्ची ने जो पायल पहनी थी वह खुली हुई थी। उसके शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। उन्हें देखकर अरविंद दास वहां से भागने लगा। बच्ची मिल गई। उन्होंने अरविंद का पीछा कर उसे पकड़ लिया। अरविंद पुलिस को सौंप दिया गया। वे लड़की को अस्पताल ले गये।

9.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि लड़की जब मिली थी तब वह बेहोश थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीड़ित लड़की के शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था।

10. अभि.सा.-5 बेला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि अरविंद दास ने शादी समारोह करने की बात कहकर पीड़ित बच्ची को उसकी गोद से उठा लिया तथा बच्ची को गोद में ले लिया। सुबह 03:00 बजे तक उसे अपनी पोती नहीं मिली। जब अरविंद दास भी नहीं मिला तो उसे अपनी पोती की चिंता होने लगी। उसकी पोती रामसेवक के घर के पास पिछवाड़े में पत्तों के ढेर पर मिली। अरविंद दास भी वहीं खड़ा था। उसकी पोती के मूत्र मार्ग से खून बह रहा था। उसने अंडरवियर नहीं पहना था तथा उसके एक पैर में पायल नहीं थी। उन्हें देखकर अरविंद दास भागने लगा। पुलिस ने आकर अरविंद दास को गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी पोती को अस्पताल ले गयी। दलसिंहसराय अस्पताल ने उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया जहां उसका इलाज किया गया।

10.1. जिरह में उसने बताया कि जब वह अपनी पोती को देखने गई थी तो वह बेहोश पड़ी थी। निभा देवी ने लड़की को उठाया और घर ले आई तथा सुबह 4:00 बजे अस्पताल ले गई। उसने आगे बताया कि ऐसा नहीं है कि गांव की राजनीति के कारण अरविंद को झूठा फंसाया गया है तथा घटना जिस तरह बताई गई है, वह वैसी नहीं है।

11. अभि.सा.-6 मुन्ना झा ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है।

12. अभि.सा.-7 मनीष कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि पुलिस को अरविंद दास के घर के पास पड़े पत्तों के ढेर से पीड़िता का अंडरवियर मिला था। एक पायल भी मिली थी। जब्ती सूची दरोगा जी ने तैयार की थी।

12.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसने अपनी आँखों से यह घटना नहीं देखी थी। इसके अलावा, उसने यह भी कहा है कि उसे नहीं पता कि पीड़िता के अंडरगारमेंट में खून था या नहीं।

13. अभि.सा.-8 संजय कुमार राय ने अपनी जिरह में कहा है कि जब पीड़ित लड़की मिली तो वह रो रही थी, बेहोश नहीं थी। पीड़ित लड़की द्वारा पहनी गई शर्ट पर

खून के धब्बे थे। पीड़िता द्वारा पहनी गई शर्ट, पते, खून और मिट्टी को *दरोगाजी* ने जब्त नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अरविंद दास जींस पैंट, शर्ट और टी-शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने अरविंद दास को पकड़ लिया और अपने साथ अपने घर ले गए जहां उन्हें 1-1.1/2 घंटे तक रखा गया। यह भी कहा गया है कि अरविंद दास द्वारा पहने गए पैंट पर खून के धब्बे थे और उनके अंडरवियर पर वीर्य भी मौजूद था। *थाना* में उनके अंडरवियर की जांच की गई। अंडरवियर लाल रंग का था। उन्होंने यह नहीं देखा कि अंडरवियर पर खून के धब्बे थे या नहीं। *दरोगाजी* ने आरोपी के अंडरवियर और जींस पैंट को जब्त नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि अरविंद कुमार दास ने बलात्कार किया है या नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि वे पीड़ित लड़की को इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में ले गए थे, जिसका नाम उन्हें याद नहीं है। बाद में वे उसे समस्तीपुर के दलसिंहसराय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल ले गए।

14. अभि.सा.-9 डॉ. मंजू सहाय दिनांक 22.05.2014 को सदर अस्पताल, समस्तीपुर में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थीं। उन्हें निम्नलिखित चोटें मिली थीं:-

"एम/आई, दाहिने घुटने पर पुराना घाव ठीक हो गया है। दांतों की संख्या: ऊपरी जबड़ा 6, निचला जबड़ा 3।

उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई।

आंतरिक परीक्षण:- पोस्ट फोरचेट के मध्य में योनी और योनि पर हाल ही में सिल दिया गया घाव पाया गया जो लगभग 1/2" लंबाई में पेरिमील क्षेत्र तक फैला हुआ था।

गुसांग के अन्य भाग पर कोई अन्य चोट या रक्तस्राव नहीं पाया गया। टांके लगे घाव से लिए गए योनि स्वेब में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति पाई गई। घाव की सिलाई से पहले योनि स्वेब लिया गया।

कलाई के एक्स-रे में ए पी दृश्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेटाकार्पल अस्थि और एपी फालंजेस में एपिफिसिस का अभाव दिखाई देता है।

रेडियस के ऊपरी सिरे का एक्स-रे के ऊपरी सिरे में एपिफिसिस की अनुपस्थिति दर्शाता है। सभी एक्स-रे प्लेट और चोट मेरे द्वारा हस्ताक्षरित के साथ संलग्न हैं।

राय:-

पीड़िता की उम्र एक से डेढ़ साल के बीच है। योनि स्वेब रिपोर्ट में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति दिखाई गई है और घाव को पहले इलाज करने वाले डॉक्टर ने सिल दिया था। इसलिए बलात्कार के बारे में राय पहले इलाज करने वाले डॉक्टर को ही देनी चाहिए।

2. उपरोक्त परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष उपाधीक्षक डॉ. वी.के. वर्मा तथा सदस्य डॉ. राजेश कुमार थे। चिह्नित रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी गई है और इस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर तथा डॉ. वी.के. वर्मा और डॉ. राजेश कुमार के हस्ताक्षर हैं मेडिकल चिह्नित एक्सटेंशन-3 है।

14.1. जिरह में, उसने कहा है कि उसे पीड़िता के शरीर के बाहरी हिस्सों पर किसी भी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है। इसके अलावा, उसने कहा है कि पीड़िता के निजी अंग पर कोई खून नहीं मिला। उसने पीड़िता का पहले इलाज नहीं किया। उसे सिर्फ हाल ही में सिल दिया गया घाव मिला। वह यह नहीं कह सकती कि बलात्कार हुआ है या नहीं, क्योंकि घाव सिल दिया गया था। उसने सिल दिए गए घाव से योनि का स्वाब लिया है, जिसमें शुक्राणुओं की अनुपस्थिति दिखाई देती है।

15. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया है। हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर

भी विचार किया है। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अभि.सा.-6 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। हालांकि, अभि.सा.-1, अभि.सा.-2, अभि.सा.-4, अभि.सा.-5 तथा अभि.सा.-8 के माध्यम से अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि जब पीड़ित लड़की नहीं मिली, तो उन्होंने उसकी खोज शुरू की तथा उसके पश्चात वह पत्तों के ढेर पर रोती हुई पाई गई। हालांकि, कुछ गवाहों ने कहा कि पीड़ित लड़की बेहोश थी, जबकि कुछ गवाहों ने कहा है कि वह होश में थी तथा रो रही थी। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला उपरोक्त गवाहों के माध्यम से है कि पीड़िता के शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था और आरोपी को घटनास्थल से भागते समय मौके से पकड़ लिया गया था। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि डॉक्टर, जिसने पीड़िता की जांच की थी, ने विशेष रूप से राय दी है कि योनि स्वेब रिपोर्ट में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति दिखाई देती है और घाव को उस डॉक्टर ने सिल दिया था जिसने उसका पहले इलाज किया था। इसलिए, बलात्कार के बारे में राय पहले इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा दी जानी चाहिए। उसने आगे कहा है कि हाल ही में योनी और योनि पर सिले हुए घाव पाए गए थे। उक्त डॉक्टर द्वारा आगे कहा गया है कि निजी अंग पर कोई अन्य चोट और रक्तस्राव नहीं पाया गया था। जिरह के दौरान, उसने विशेष रूप से कहा है कि वह यह नहीं कह सकती कि बलात्कार किया गया है या नहीं क्योंकि घाव सिला हुआ था।

16. इस स्तर पर, यह देखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष उस डॉक्टर से पूछताछ करने में विफल रहा है जिसने पीड़िता का सबसे पहले इलाज किया था। यहां तक कि पीड़िता के पिता यानी अभि.सा.-8 ने भी जिरह के दौरान कहा है कि वह पीड़ित लड़की को इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में ले गया था, हालांकि, उसका नाम उसे याद नहीं है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से, यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था।

17. साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि हालांकि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी को मौके से पकड़ा गया था, लेकिन उसे आवश्यक जांच के लिए नहीं भेजा गया और जांच एजेंसी ने संहिता की धारा 53 (ए) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, अभि.सा.-8, जो कि पीड़िता का पिता है, की जिरह से यह पता चलता है कि उसने विशेष रूप से कहा था कि पीड़िता द्वारा पहनी गई शर्ट, पते, खून और मिट्टी को *दरोगाजी* ने जब्त नहीं किया था। यहां तक कि आरोपी के कपड़े भी जांच अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किए गए थे।

17.1. इस स्तर पर यह देखना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष ने जांच करने वाले जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की तथा बचाव पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न किए जाने के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।

18. यह अभियुक्त का विशिष्ट बचाव है जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के समक्ष जिरह के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि स्थानीय राजनीति के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।

19. हमारा यह भी मानना है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बहुत बड़ा विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने सजा का आदेश दर्ज किया है। तदनुसार, उक्त आदेश को रद्द करने और अलग रखने की आवश्यकता है।

20. तदनुसार, दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 236/14 से उत्पन्न जीआर संख्या 443/14 पंजीकरण संख्या 643/14 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 07.08.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 11.08.2017 के सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है।

21. अपीलकर्ता, अरविंद कुमार दास उर्फ अरविंद दास को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। वह हिरासत में है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

22. अपील स्वीकृत की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।